न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 8 / 2019 (उदयपुर आर्डर)

भंवरसिंह पिता रतनसिंह जी राव, निवासी देवसिंह जी का कुंआ, महुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. भगवानसिंह पिता भैरूसिंह जी राव, निवासी देवसिंह जी का कुंआ, महुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. जसवन्तसिंह पिता भैरूसिंह जी राव, निवासी देवसिंह जी का कुंआ, महुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. तेजसिंह पिता भैरूसिंह जी राव, निवासी देवसिंह जी का कुंआ, महुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. प्रतापसिंह पिता भैरूसिंह जी राव, निवासी देवसिंह जी का कुंआ, महुड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 17.05.2019 प्र॰ सं॰ 71 / 18

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री गिरधारीलाल अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मनीष शर्मा अभिभाषक रे.सं. 1 से 4
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

15–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पलानाकलां में आराजी नंबर 1265 रकबा 11 बीघा भूमि स्थित है, जो वर्तमान में प्रार्थी व मेरे परिजनों तथा विपक्षीगण व अन्य के नाम संयुक्त खातेदारी में अंकित होकर खातेदारान संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु विपक्षीगण बिना भूमियों का विधिवत विभाजन हुए अच्छी किस्म की जमीन पर निर्माण कराने पर उतारू हैं, जिससे उन्हें रोका जाना आवश्यक है। अतः विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीय या हस्तान्तरित नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

विपक्षीगण ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि भूमि का पूर्वजों के समय ही आपसी सहमति अनुसार विभाजन होकर पक्षकारान मौके पर उसी अनुसार काबिज हैं तथा अपने–अपने हिस्से में आयी भूमि का आबादान कर काबिल काश्त बनाया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद साक्ष्य सबूत के आधार पर निर्णय पारित करे हुए अपने निर्णय दिनांक 17–05–2019 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 24–05–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि जब तक विधिवत

मीट्स एण्ड बाउण्ड्स भूमियों का विभाजन नहीं हो जाये तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक ईंच भूमि पर कब्जा माना जाता है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

वहीं विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होन से खारिज करने की प्रार्थना की तथा अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.आर.टी. 2013 (2) पेज 1108, आर.आर.टी. 2011–12 (Supp.) पेज 192 एवं आर.आर.टी. 2014–15 (Supp.) पेज 657 प्रस्तुत की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए यह माना है कि विपक्षीगण भूमि के सहखातेदार दर्ज हैं तथा सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, जो वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों की रोशनी मं विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17–05–2015 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 15–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर